रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 1989/अग्रहायण 14, 1911
No. 624] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 1989/AGRAHAYANA 14, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

पत्तन पक्ष

नई दिल्ली, 5 दिसंबर, 1989

अधिसूचना

सा.का.नि. 1040 (अ).—भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 (1908 का 15) की धारा 34, 46 और 47 के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.-700(अ) दिनांक 29 सितंबर, 1984 के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन समाप्त होने के अगले दिन से पत्तन शुल्क जैसा कि अनुसूची में विहित है पारादीप पत्तन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक जलयान से वसूल किया जाएगा ।

अनुसूची

प्रभार योग्य जलयान	प्रति निवल पंजीकृत टन के लिए पत्तन शुल्क की दर	एक ही जलयान से कितनी बार शुल्क वसूल किया जाना है
1.	2.	3.
(क) विदेश जाने वाले जहाज	सात रुपए और पचास पैसे	प्रत्येक प्रविष्टि के लिए
(ख) तटवर्ती जहाज	[illegible] रुपए और पचास पैसे	तीस दिन में एक एक बार

टिप्पण :

(1) ऊपर बताए गए पत्तन शुल्क तटवर्ती जहाजों के संबंध में तीस दिन में केवल एक बार देय होगा।

(2) पत्तन शुल्क निम्नलिखित पर नहीं लगाया जाएगा :—

(i) किसी नौका विहार ।

(ii) ऐसे किसी जहाज से जो पत्तन छोड़ गया हो उसे मौसम के दबाव के कारण भारी अथवा क्षति के कारण पुनः प्रवेश करने के लिए बाध्य होना पड़ा हो।

(iii) नौ सेना के निम्नलिखित जहाजों की श्रेणियों को पत्तन शुल्क की अदायगी से छूट है :—

(क) भारत गणराज्य के अथवा उसकी सेवा में सफेद झंडा लगे युद्ध के जहाज।

(ख) नीला झंडा लगे जहाज।

(ग) पत्तन में प्रवेश करने वाले किसी विदेशी राजकुमार अथवा राज्य के युद्ध पोत ।

(iv) ऐसा कोई जहाज जो या तो मिट्टी लेकर अथवा सामान अथवा यात्रियों सहित पत्तन में प्रवेश करने के पश्चात् किसी यात्री अथवा सामान को उतारे अथवा चढ़ाये बगैर 48 घंटे के अन्दर-अंदर पत्तन छोड़ देता है।

(v) 48 घंटों के अंदर सामान उतारने वाले अथवा कर्मियों को चढ़ाने वाले तथा पत्तन छोड़ जाने वाले जहाज। इस खंड के प्रयोजन के लिए पायलट को, जो खराब मौसम के कारण दूर चला जाता है, कर्मीदल का सदस्य समझा जाय और जहाज को पत्तन शुल्क की अदायगी से छूट दे दी जाय।

(vi) अन्य भारतीय पत्तनों के जहाज।

(3) अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पत्तन में मिट्टी लेकर पहुंचने वाले किसी जहाज से पूरा शुल्क लिया जाय क्योंकि वह बाद में भरे जाने पर पत्तन छोड़ जाते हैं। इसलिए ऐसे जहाजों को जो पत्तन में मिट्टी लेकर प्रवेश करते हैं और उतरने वाली नहीं होते हैं, लेकिन भरे जाने पर पत्तन छोड़ जाते है, उन्हें ऊपर निर्धारित दर का तीन चौथाई पत्तन शुल्क का भुगतान करना होता है।

(4) ऐसे जहाज को जो पत्तन में प्रवेश तो करते हैं लेकिन न तो वे कोई माल अथवा यात्री उतारते है, अथवा चढ़ाते है, आधा पत्तन शुल्क अदा करना होगा । (सामान को उतारने अथवा चढ़ाने जैसा कि मरम्मत के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, को छोड़कर) ।

(5) पत्तन में लंगर डाले बगैर यात्री उतारने वाले अपनी यात्रा जारी रखने वाले जहाज को पत्तन शुल्क अदा करना होगा।

(6) किसी भारतीय पत्तन से (जैसे कलकत्ता) किसी विदेशी पत्तन के लिए प्रस्थान करने वाला कोई जहाज जब दूसरे भारतीय पत्तन (जैसे पारादीप) में विदेशी पत्तन को माल ले जाते हुए प्रवेश करता है, तब उसे पारादीप में पत्तन शुल्क के प्रयोजन के लिए एक विदेशी जहाज समझा जाए।

(7) निजी उपयोग के केवल रसद, पानी, बैकर, कोयला अथवा तरल ईंधन के लेने लिए पत्तन में प्रवेश करने वाले जहाज से आधी दरों पर पत्तन शुल्क वसूल किया जाएगा।

(8) ऐसे सभी जहाजों को, जिनके मालिक राज्य/केन्द्रीय सरकारें हों, ऊपर खंड 2(iii) के अधीन निर्दिष्ट जहाजों को छोड कर, ऊपर निर्धारित मान के अनुसार पत्तन शुल्क अदा करना होगा।

(9) ऐसा तटवर्ती जहाज, जो ऊपर खंड (3) के अधीन तीन चौथाई पत्तन शुल्क अदा करने के लिए बाद सामान या यात्री या मिट्टी लेकर छूट की अवधि के अंदर पत्तन में फिर से प्रवेश करता है, तो उससे अंतर वसूल किया जायेगा अर्थात् पिछली बार रियायत किया गया एक चौथाई पत्तन शुल्क।

(10) ऐसे जहाज जिसने पहुंचने पर बैकर कोयला उतारने के लिए ऊपर खंड 3 के अधीन तीन चौथाई पत्तन शुल्क का भुगतान कर दिया है उससे अंतर वसूल किया जायेगा, अर्थात् पिछली बार रियायत किया गया एक चौथाई।

(11) ऐसे तटवर्ती जहाज जो ऊपर खंड 7 के अधीन आधा पत्तन शुल्क अदा करने के पश्चात सामान या यात्री या मिट्टी लेकर छूट की अवधि के अंदर पत्तन में फिर से प्रवेश करता है, उससे अंतर वसूल किया जायेगा अर्थात् पिछली बार रियायत किया गया आधा।

[फा. सं. पी आर-14012-5/89-पीजी]

प्रागेंद्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1989

G.S.R. 1040 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 33, read with Sections 34, 46 and 47 of Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and in supersession of Notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. GSR-700(E), dated 29th September, 1984, the Central Government hereby directs that with effect from the day following the expiration of 60 days from the date of publication of notification in the Official Gazette, Port dues as prescribed in the schedule shall be levied on each of the vessel entering the Port of Paradip.

SCHEDULE

Vessel chargeable	Rate of port dues per N.R.T.	Due how often chargeable in respect of same vessel
1	2	3
(a) Foreign going vessels.	Rupees seven and paise fifty.	For each entry
(b) Coastal vessels	Rupees seven and paise fifty.	Once in thirty days.

NOTE :—

(1) Port dues, as above, would be payable only once in thirty days in respect of Coastal Vessels.

(2) Port dues shall not be levied on :—

(i) Any pleasure yacht.

(ii) Any vessel which, having left the Port is compelled to re-enter it by stress of weather or in consequence of having sustained damage.

(iii) The following categories of Naval Vessels are exempted from payment of Port dues :—

(a) Vessels of War flying the white engine belonging to or in the service of the Republic of India.

(b) Vessels flying the blue ensin.

(c) Men of war belonging to any foreign Prince or state entering the Port.

(iv) Any vessel either in ballast or with cargo or passenger which, having entered Port, leaves it within 48 hours, without discharging or taking in any passengers or cargo.

(v) Vessel discharging or shipping crew and leaving a port within 48 hours. For the purpose of this clause, Pilot over carried due to bad weather be treated as crew member and the vessel exempted from payment of Port dues.

(vi) Vessels belonging to other Indian Ports.

(3) There is no provision in the Act for the full rate being assessed for a vessel arriving at a port in ballast because she afterwards leaves the port laden. Therefore, vessels entering the port in ballast and not carrying passengers, but leaving the port laden are liable to pay port dues at three fourths of the rate laid down above.

(4) Vessels that enter the port but do not discharge or take in any cargo or passengers therein (with the exception of such unshipment or reshipment as may be necessary for purposes of repair) shall pay half port dues.

(5) A vessel landing a passenger at a Port without anchoring and proceeding on her voyage is liable to Port dues.

(6) A vessel proceeding from an Indian Port (say Calcutta) to a foreign Port and calling at another Indian Port (say Paradip) enroute to take in cargo for a foreign port, should at Paradip be treated as a foreign vessel for the purpose of the Port dues.

(7) Vessels entering the Port and taking in only provisions, water, bunker coal or Liquid fuel for their own consumptioning shall be charged Port dues at half rates.

(8) All vessels owned by State|Central Governments other than those specified under Clause 2(iii) above are liable for payment of Port dues as per the scale laid down above.

(9) A coasting vessel which after paying three fourth Port dues under Clause 3 above, reenters the Port within the period of exemption with cargo or passengers or in ballast shall be charged the difference viz. one-fourth Port dues previously conceded.

(10) Vessels that have paid three-fourths Port dues on arrival under Clause 3 above, discharging bunker coal shall be charged the diefference, viz. one-fourh previously conceded.

(11) Coasting vessels which, after paying half Port dues under Clause 7 above re-enter the Port within the period of exemption with cargo or passengers or in ballast shall be charged the difference, viz., the half previously conceded.

[File No. PR-14012-5/89-PG]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989